Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चित्तौडगढ़ द्वारा श्री किशन लाल शर्मा हाल कानि. न.130 को 7,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।**

जयपुर, 01 मई, गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी चित्तौडगढ़ द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री किशन लाल शर्मा हाल कानि. 130, पुलिस थाना लसाडिया जिला सलुम्बर को 7,000/- रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी चित्तौडगढ़ को एक शिकायत इस आशय की मिली कि पुलिस थाना लसाडिया के कानिस्टेबल श्री किशन लाल शर्मा द्वारा परिवादी के पार्टनर के शराब के ठेके की एसएचओं के नाम से मंथली के रूप में 7,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरविजन में एसीबी चौकी चित्तौडगढ़ के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री किशन लाल शर्मा हाल कानि. 130, पुलिस थाना लसाडिया जिला सलुम्बर को परिवादी के पार्टनर के शराब के ठेके की एसएचओं के नाम से मंथली के रूप में 7,000/- रूपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।